पत्रांक/जी0एस0टी0/2022–23/ वाणिज्य कर

कार्यालय–कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक २० मई, 2022

-:कार्यालय आदेश:-

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य कर विभाग द्वारा प्रचलित कार्यवाहियों में राजस्व से सम्बन्धित अनेक सूचनाएं अन्तर्विभागीय प्रकृति की होती हैं। यह संज्ञान में आया है कि सूचना संग्रहण करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया न होने के कारण इस कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः कठिनाईयों को दूर करते हुए राजस्व हित में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है–

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत सूचना संकलन के बारे में निम्न प्रकार व्यवस्था की गयी है–

" Sec. 151 : Power to call for information

The Commissioner or an officer authorised by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this Act, within such time, in such form, and in such manner, as may be specified therein. "

उक्त धारा के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में खण्ड तथा प्रवर्तन इकाईयों में कार्यरत असिस्टेंट कमिश्नर, राज्य कर को धारा 151 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

/

(मिनिस्ती एस0)
कमिश्नर, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0स0/ 111(1)/तद दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:–ज्वाइण्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

20.5.2022

एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।